सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 07, शुक्रवार, *शाके* 1944-जनवरी 27, 2023
Magha 07, Friday , Saka 1944- January 27, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

विभाग का नामः उपायुक्त आयोजना (प्रथम), नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 11, 2023

संख्या एफ 13 ( ) उपा. आयो. /जननिग्रे/2023/699 :-राज्य सरकार द्वारा भू उपयोग परिवर्तन बाबत् जारी अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) के अन्तर्गत मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र में स्थित भूखण्ड संख्या ए-6 राम मंदिर के पीछे, पुराना पावर हाउस रोड, बनीपार्क, खसरा नम्बर 142 (पार्ट), ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, जयपुर का मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र में दर्शित स्पेशल एरिया तथा आंशिक भाग आर्मी एरिया / राजकीय आरक्षित भू-उपयोग का आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन साधारण से आपति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रदूत व दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में दिनांक 17.03.2022 को एवं संशोधित सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 20.10.2022 को प्रकाशित की गई थी। जिसमें 15 दिन की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए थे।

प्रकरण में राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की दिनांक 14.10.2022 को आयोजित 171 वी बैठक के प्रस्ताव सं. 06/171 में भूखण्ड संख्या ए-6 राम मंदिर के पीछे, पुराना पावर हाउस रोड, बनीपार्क, खसरा नम्बर 142 (पार्ट), ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, जयपुर का मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र में दर्शित स्पेशल एरिया तथा आंशिक भाग आर्मी एरिया/राजकीय आरक्षित का आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारण/ भू उपयोग परिर्वतन किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसमें भू.सं. ए-6 का क्षेत्रफल 28281.30 व.मी. में से सड़क हेतु भूमि समर्पित भूमि 610.60 व.मी. कम करने के पश्चात भूखण्ड का क्षेत्रफल 27670.70 व.मी. शेष रहा।

"उपांतरण"

जयपुर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में स्थित खसरा नम्बर 142 (पार्ट), ग्राम बस्सी सीतारामपुरा, जयपुर क्षेत्रफल भू.सं. ए-6 क्षेत्रफल 28281.30 व.मी. जो अजूर ट्री प्रोपर्टी वेन्चर्स प्रा. लि. पुराना पावर हाउस रोड, बनीपार्क जयपुर जो आवेदक के स्वामित्व का था का राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की दिनांक 14.10.2022 को आयोजित 171 वी बैठक के प्रस्ताव सं. 06/171 में अंकित शर्तो एवं निर्णय की पालना में सड़क हेतु समर्पित भूमि कम करने के पश्चात शेष भूमि क्षेत्रफल 27670.70 व.मी. का आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत उक्त शर्तो के साथ भू-उपयोग उपान्तरण किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 06.01.23 को जारी गई है। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज्य पत्र के आसाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों (सभी संस्करण राज्य) में प्रकाशित होने के पश्चात मान्य होगी।

महेन्द्र सोनी,
आयुक्त,
नगर निगम जयपुर ग्रेटर।

200
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।